न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-113/2022

राज्य

बनाम्

अरूण प्रसाद वगैरह

—: आदेश :—

23/01/23	वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 991/एम0 दिनांक 19.10.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद थान प्रभारी, बरवाडीह थाना के ज्ञापांक 2680/2022 दिनांक 17.10.2022 के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) के आलोक में जप्त 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर रंजि0 न0– JH08F-8756, Eng. No.-RHG2EAN7003, Chassis No-MBNABAPXPHRG03454 एवं 2. महिन्द्रा ट्रैक्टर रंजि0 न0–JH19D-1036, Eng. No.-RMF2EMN2054, Chassis No-MBNABAEXKMJF05489 को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जप्त वाहन संख्या–JH08F-8756 के निबंधित स्वामी अरूण प्रसाद पिता–कृष्णा प्रसाद, ग्राम–मुर्गीडीह, थाना–बरवाडीह, जिला–लातेहार तथा वाहन संख्या–JH19D-1036 के निबंधित स्वामी सुरेन्द्र पासवान, पिता–स्व0 नन्हकु पासवान, ग्राम–मुर्गीडीह, थाना–बरवाडीह, जिला–लातेहार हैं। प्रतिपक्षी संख्या–2 के नाम से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास के तहत् आवास निर्माण में छरी एवं बालू की

आवश्यकता थी, जिसके लिए छरी ला रहा था तथा प्रतिपक्षी संख्या–1 के ट्रैक्टर से बालू मंगा रहा था। प्रतिपक्षीगण जान–बुझकर बालू एवं छरी का अवैध खनन नहीं किये हैं तथा यह पहला अपराध है। प्रतिपक्षीगण भविष्य में अपने ट्रैक्टर से बालू एवं छरी लाने का कार्य नहीं करेंगे।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि दिनांक 17.10.2022 को थाना प्रभारी, बरवाडीह थाना एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बरवाडीह द्वारा बरवाडीह थाना क्षेत्र अन्तर्गत छापामारी के क्रम में ग्राम मुर्गीडीह रोड पर उक्त दोनों ट्रैक्टर के ट्रॉली में लदे अवैध बालू खनिज एवं पत्थर चिप्स का परिवहन करते हुए पाया गया। उक्त दोनों वाहनो के ट्रॉली में लदे अवैध बालू खनिज एवं पत्थर चिप्स सहित वाहनों को थाना प्रभारी, बरवाडीह थाना द्वारा जप्त कर बरवाडीह थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है।

दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

अतः जप्त वाहन 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर रंजि0 न0–JH08F-8756, Eng. No.-RHG2EAN7003, Chassis No-MBNABAPXPHRG03454 एवं 2. महिन्द्रा ट्रैक्टर रंजि0 न0–JH19D-1036, Eng. No.-RMF2EMN2054, Chassis No-MBNABAEXKMJF05489 को ट्रॉली सहित निम्नलिखित शर्तों एवं प्रति ट्रैक्टर एक–एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है:–

1. उक्त वाहन की प्रकृति वो पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षीगण अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं प्रति ट्रैक्टर एक–एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

27/01/23
उपायुक्त,
लातेहार।

27/01/23
उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 16:39:57 +05:30
Location: 192.168.164.143